न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या – 8/ 2012 जिला दौसा

तीर्थ नारायण पुत्र महादेव प्रसाद, उम्र 80 वर्ष, जाति ब्राह्मण, निवासी पंचायत समिति रोड, दौसा, तहसील व जिला दौसा (राज.)

अपीलान्ट

बनाम

1. रामावतार पुत्र महादेव प्रसाद
2. मुकेश कुमार पुत्र रामावतार
3. गोपाल पुत्र रामावतार
4. शिवकान्त शर्मा पुत्र हरिशंकर शर्मा
5. शिवरतन पुत्र कैलाश
6. श्रीमती भंवरी देवी पत्नि कैलाश
   समस्त जाति ब्राह्मण, निवासी पंचायत समिति रोड दौसा, तहसील व जिला दौसा (राज.)
7. डॉ. शम्भू प्रसाद शर्मा पुत्र हरिशंकर शर्मा जाति ब्राह्मण, निवासी मानक्लब मैदान के पास, दौसा जिला दौसा (राज.)
8. शिवचरण शर्मा पुत्र हरिशंकर शर्मा, जाति ब्राह्मण, निवासी बाईपास तिराहा, गैस गोदाम के पास दौसा तहसील व जिला दौसा (राज.)
9. सुदीप पुत्र कृष्णावतार , जाति ब्राह्मण, निवासी महावीर नगर प्रथम, मकान नम्बर 653 जयपुर जिला जयपुर (राज.)
10. श्रीमती विमला देवी पत्नि कृष्णावतार , जाति ब्राह्मण, निवासी महावीर नगर प्रथम, मकान नम्बर 653 जयपुर जिला जयपुर (राज.)
11. श्रीमती अर्पणा पुत्री कृष्णावतार पत्नि हेमराज, जाति ब्राह्मण निवासी जयपुर हाल कार्यरत नायब तहसीलदार जमवारामगढ, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर (राज.)
12. श्रीमती शैलजा पुत्री कृष्णावतार पत्नि डॉ. विवेक शर्मा, जाति ब्राह्मण, निवासी महात्मा गांधी हॉस्पीटल कैम्पस, सीतापुरा, जयपुर जिला जयपुर (राज.)
13. श्रीमती स्नेहा पुत्री कृष्णावतार पत्नि सुशील कुमार, जाति ब्राह्मण, निवासी कल्याण नगर द्वितीय, जयपुर जिला जयपुर (राज.)
14. श्रीमती सावित्री देवी पुत्री महादेव प्रसाद पत्नि सुरेश चन्द , जाति ब्राह्मण, निवासी 72, शिवाड ऐरिया, बापू नगर, जयपुर जिला जयपुर (राज.)
15. श्रीमती गायत्री देवी पुत्री हरिशंकर पत्नि कमलेश कुमार जैमन, जाति ब्राह्मण, निवासी बस स्टेण्ड के पास , मकान नं. 32 इन्दिरा गांधी नगर, भरतपुर, जिला भरतपुर (राज.)
16. श्रीमती सविता पुत्री हरिशंकर पत्नि श्री मनमोहन मिश्रा, जाति ब्राह्मण, निवासी गोविन्द नगर, मकान नं. 54 ऐयरपोर्ट के पास, सांगानेर, जयपुर जिला जयपुर (राज.)
17. श्रीमती रजनी देवी पुत्री कैलाश पत्नि सुरेश चन्द जाति ब्राह्मण, निवासी पी.जी. कॉलेज के सामने गायत्री नगर मोड, आगरा रोड, दौसा, जिला दौसा (राज.)
18. श्रीमती उमा पुत्री रामावतार पत्नि राजेश, जाति ब्राह्मण, निवासी लालकोठी, बापू नगर, जयपुर , जिला जयपुर (राज.)
19. श्रीमती अनुपमा पुत्री रामावतार पत्नि मुकेश कुमार महर्षि, जाति ब्राह्मण, निवासी प्रतापनगर, कुम्हेर गेट, भरतपुर, जिला भरतपुर (राज.)

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

20. लैण्ड होल्डर तहसीलदार, तहसील दौसा, जिला दौसा (राज.)

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार दौसा दिनांक 27.3.2012

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री अशोक बटवाल
2. वकील रेस्पोंडेन्ट श्री राजाराम चौधरी

निर्णय

दिनांक – 28.11.2017

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार दौसा के निर्णय दिनांक 27.3.2012 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि भू प्रबन्ध विभाग के पर्चा खतौनी संवत 2038 के अनुसार ग्राम दौसा कलां, तहसील व जिला दौसा स्थित आराजी खसरा नम्बर 1948 रकबा 0.15 हैक्टेयर, 1949 रकबा 0.34 हैक्टेयर , 1950 रकबा 0.36 हैक्टेयर, 1951 रकबा 0.03 हैक्टेयर, 1952 रकबा 0.12 हैक्टेयर, 1953 रकबा 0.26 हैक्टेयर, 1954 रकबा 0.34 हैक्टेयर, 1955 रकबा 0.28 हैक्टेयर, 1958 रकबा 0.14 हैक्टेयर, 1959 रकबा 0.16 हैक्टेयर एवं 1960 रकबा 0.18 हैक्टेयर कुल किता 11 कुल रकबा 2.36 हैक्टेयर का खातेदार महादेव प्रसाद था जिसके फौत होने पर रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 मुकेश कुमार शर्मा पुत्र श्री रामावतार शर्मा द्वारा एक प्रार्थना पत्र उप जिला कलक्टर दौसा को दिनांक 16.10.2017 को प्रस्तुत किया कि मृतक महादेव प्रसाद पुत्र शिवकुमार शर्मा की मृत्यु दिनांक 3.2.1981 को हो गई जिनकी खातेदारी भूमि का नामांतरकरण अभी तक नहीं खुला। अज्ञानतावश नामांतरकरण समय पर नहीं खुलवा सके । अब श्री महादेव प्रसाद की खातेदारी भूमि का नामांतरकरण खुलवाने की कृपा करें । उक्त प्रार्थना पत्र उप जिला कलक्टर दौसा द्वारा तहसीलदार दौसा को वास्ते आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया जिस पर तहसीलदार द्वारा पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान कर मृतक महादेव प्रसाद की विरासत का नामांतरकरण विधिक वारिसान के नाम खोलने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.3.2012 पारित किये गये जिनसे व्यथित होकर अपीलान्ट तीर्थनारायण पुत्र महादेव प्रसाद द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने व अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जाकर प्रश्नगत आराजी का नामांतरकरण जरिये वसीयत पत्र अपीलान्ट के नाम भरे जाने के आदेश पारित करने की प्रार्थना की ।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा तहसीलदार के समक्ष जवाब प्रार्थना पत्र मय वसीयत की फोटो प्रति प्रस्तुत कर स्पष्ट किया था कि विवादित आराजी अपीलार्थी द्वारा उसके पिता के जीवनकाल में स्वयं के पैसों से कय की थी, लेकिन संयुक्त रूप से रहने के कारण विवादित आराजी अपने पिता के नाम से कय करली थी । अपीलार्थी अपने पिता के जीवनपर्यन्त साथ रहा है । अपीलार्थी के पिता द्वारा प्रसन्न होकर विवादित आराजी का एकमात्र मालिक जरिये वसियत दिनांक 19.6.79

अपीलार्थी को सभी रेस्पोंडेन्ट्स के सामने बनाया था । मृतक खातेदार महादेव प्रसाद के चारों पुत्र हरिशंकर, कैलाश, रामावतार व कृष्णावतार सभी ने मौखिक रूप से वसियत के संबंध में सहमति व्यक्त करदी थी । उनका कहना था कि सहमति के आधार पर दौराने भू प्रबन्ध अपीलार्थी के नाम नामांतरकरण संख्या 36 दिनांक 4.11.87 को भरा गया था किन्तु भू प्रबन्ध कार्यवाही दिनांक 2.9.87 को बन्द होने के कारण राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद नहीं हो सका तथा ए.सी.आर. के आदेश सं.भू.प्रा.आ./ समु / 2/ रैकर/ 3/2 / 4 / 79 / 1870 दिनांक 12.5.88 द्वारा निरस्त कर दिया गया । उनका कहना था कि तहसीलदार द्वारा अपीलार्थी को साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया तथा अपीलार्थी की साक्ष्य बन्द कर अवैधानिक रूप से अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो विधिविधान एवं विधि के सामान्य सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय ने वसियत के संबंध में विवेचन किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है , जो त्रुटिपूर्ण एवं विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे तथा वसियत के आधार पर अपीलार्थी के नाम नामांतरकरण तस्दीक करने के आदेश प्रदान किये जावे ।

रेस्पोंडेन्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस में मुख्य रूप से कथन किया अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष साक्ष्य में दस्तावेजात व वसीयत पेश नहीं की । इस न्यायालय में वसियत की फोटो प्रति प्रस्तुत की है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने हेतु साक्ष्य व सबूत पेश करने का पर्याप्त समय दिया गया था, लेकिन अपीलार्थी द्वारा साक्ष्य व सबूत पेश नहीं करने के कारण उनकी साक्ष्य बन्द करदी गई थी । उनका कहना था कि वसियत यदि विवादित हो तो वसियत के आधार पर अधिकार चाहते वाले व्यक्ति को अपने अधिकार सक्षम न्यायालय से तय कराने चाहिये । वसियत के विवादित रहते अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार दौसा ने मृतक खातेदार महादेव प्रसाद की विरासत का नामांतरकरण उसके विधिक वारिसान के नाम खोलने हेतु अपीलाधीन आदेश पारित किया है , जो उचित एवं विधिसम्यक है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे ।

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । दोनों पक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । प्रकरण में विवाद मृतक खातेदार महादेव प्रसाद की विरासत का है । अपीलार्थी तीर्थनारायण वसियत के आधार पर नामांतरकरण तय कराना चाहता है जबकि तहसीलदार द्वारा मृतक खातेदार महादेव प्रसाद की विरासत का नामांतरकरण उसके विधिक वारिसान के नाम खोलने हेतु अपीलाधीन आदेश पारित किया है ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि नामांतरकरण की कार्यवाही भू राजस्व की देयता के लिये राजस्व अभिलेख में प्रविष्टियों की एक मात्र प्रकिया है जिससे पक्षकारों के अधिकारों का निर्धारण नहीं होता । अपीलान्ट वसियत के आधार पर अधिकार चाहता है । विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि यदि वसियत विवादित है तो वसियत के आधार पर अधिकार चाहने वाले व्यक्ति को अपने अधिकार सक्षम न्यायालय से तय कराने होगें । नामांतरकरण की सरसरी कार्यवाही में अधिकारों का निर्धारण नहीं हो सकता । तहसीलदार दौसा ने मृतक खातेदार महादेव प्रसाद की विरासत का नामांतरकरण उसके विधिक वारिसान के नाम खोलने का अपीलाधीन आदेश

27.3.2012 पारित किया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती एवं अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है । परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)
अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर